अपील सूचना अधिकार संख्या 159/2020 (RCMS 2020/00282) रामचन्द्र पुत्र लालाराम ब्राह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर **<u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर**

<u>11.08.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. सरकारी कर्मचारी व अधिकारी के नाम कृषि भूमि आवंटन की जा सकती है या नही अगर की जाती है तो काश्तकारी अधिनियम 1955 की किस धारा में की जाती है प्रमाणित सूदा जानकारी।
2. हरियाणा के मूल निवासी काश्तकार को राजस्थान की कृषि भूमि आवंटन की जा सकती है या नही
3. मिसल 576/77 खांटा बरानी मुरबा नम्बर 85 में 25 बीघा आवंटन आदेश की सम्पूर्ण मूल पत्रावली की प्रमाणित सूदा नकल।
4. मिसल 611/77 [illegible] न0 89 के किला नम्बर 4 ता 6, 14 ता 17 व 24 [illegible] कुल बीघा आवन्टी [illegible] पुत्र सदासुख आवंटन तिथि 03.02.1987 सम्पूर्ण मूल पत्रावली की प्रमाणित सुदा नकल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाआ/21/1913 दिनांक 08.01.2021 से अपील का जवाब प्रेषित करते हुए अवगत करवया है कि उन्होनें अपने पत्रांक सूकाअ/20/1842 दिनांक 15.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया गया है : .

क. सं.	चाही गई सूचना	सूचना के सम्बन्ध में उत्तर
1	सरकारी कर्मचारी व अधिकारी के नाम कृषि भूमि आवंटन की जा सकती है या नही अगर की जाती है तो काश्तकारी अधिनियम 1955 की किस धारा में की जाती है प्रमाणित सूदा जानकारी।	आरटीआई की धारा 2(च) के तहत देय नही है।राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लाग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।
2	हरियाणा के मूल निवासी काश्तकार को राजस्थान की कृषि भूमि आवंटन की जा सकती है या नही	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।
3	मिसल 576/77 खांटा बरानी मुरबा नम्बर 85 में 25 बीघा आवंटन आदेश की सम्पूर्ण मूल पत्रावली की प्रमाणित सूदा नकल।	मिसल नं0 576/77 से सम्बन्धित चाही गई सूचना के लिए कार्यालय में उपस्थित [illegible] करने पर उपलब्ध करवा दी [illegible]
4	मिसल 611/77 गांव खांटा बरानी मुरब्बना नं0 89 के किला नम्बर 4 ता 6, 14 ता 17 व 24,25 कुल बीघा आवन्टी प्रेमसिंह पुत्र सदासुख आवंटन तिथि 03.02.1987 सम्पूर्ण मूल पत्रावली की प्रमाणित सुदा नकल।	मिसल नं0 611/77 से सम्बन्धित निर्णय की प्रति उपलब्ध करवाने पर पत्रावली तलाश कर उपलब्ध करवा दी जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 3 व 4 में अंकित पत्रावलियों के पृष्ठ संख्या के आधार पर बनने वाली राशि से अपीलार्थी को अवगत करवा देवें और अपीलार्थी यदि राशि राजकोष में जमा करवा दे तो उसे नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवा दे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील निस्तरित की जाती है आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested